



F-07-08
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

IS/ISO: 9001:2008

**रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION**

**भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE**

**मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037**

वर्गअनुमोदनसं.: 874 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 874

विषय/ Sub: फ्यूल फिल्टर कैप, पार्ट सं. एम-08530 /

Fuel Filter Cap, Part No.: M - 08530

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वायुयान प्रभाग, बेंगलूरु- 560 017, द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा मेसर्स माइक्रोन इंजिनियर्स, सं.बी-10, बीईएल इंडस्ट्रियल एस्टेट, जालहल्ली, बेंगलूरु- 560 013 द्वारा उत्पादित "फ्यूल फिल्टर कैप" पार्ट सं. एम-08530, को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-874, दिनांक 07 अप्रैल 2000, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 874 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-874/3आर, दिनांक 24 जनवरी 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक थी।

This is to state that the "Fuel Filter Cap" bearing the Part No.: M-08530, designed and developed by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Aircraft Division, Bangalore 560017, and Manufacture by M/s. Micron Engineers, No.B-10, BEL Industrial Estate, Jalahalli, Bangalore 560013 was issued with Type Approval No.: 874 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-874, dated: 07th April 2000. Subsequently it was renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-874/3R, dated: 24th January 2013 with its validity up to 31st December 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जनवरी 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), सेमिलैक, बेंगलूरु-560 037, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f 1st February 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st January 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Bangalore – 560 037, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-874, दिनांक 07 अप्रैल 2000 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-874, dated: 07th April 2000 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक) बेंगलूरु- 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency].”

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाण पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial Type Approval Certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA-874/4R

दिनांक /Date : 06 February 2018

फैक्ससं./Fax No: 080 – 25230856

सं. HR.

(पी .जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)